न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 13/2019

विजय सिंह पुत्र बालमुकुन्द जाति जाट निवासी मौरदा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

क्षेत्रीय वन अधिकारी बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक अधिकारी भरतपुर दिनांक 17.01.2019 पत्रावली संख्या 02/2018–19 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 17.02.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन सरंक्षक अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 17.01.2019 के खिलाफ पेश की गई है। पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन सरंक्षक अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन में अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 62/1 में किये गये अवैध निर्माण से बेदखल किये जाने एवं शास्ति किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो० एवं तहत पत्रावली तलब की गई। पीठासीन अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया है। अपीलान्ट जब बार हाजिर हुआ तो अपीलान्ट की अज्ञानता व अनभिज्ञता का लाभ उठाकर बिना अपीलान्ट को जवाब व दस्तावेज आदि पेश करने का मौका दिये बिना अपीलान्ट के बयान दर्ज कर लिये और अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी के बारे में भी नहीं बताया। अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्शाते हुये एकतरफा में दिनांक 17.01.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा देने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया। खसरा नम्बर 62/1 रकबा 0.15 एअर पर करीब पचास सालों से आबादी बसी हुई है। अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से ही अपीलान्ट के निवास स्थान बने हुये है। अपीलान्ट ने कोई नया निर्माण नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में मंजूरी भी जारी की हुई है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल वगैरा लेकर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है एवं देरी को माफ करने के लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अतः देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने वन विभाग के खसरा नम्बर 62/1 की भूमि पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट अतिक्रमी को विवादित आराजी से बेदखल करने एवं शास्ती कायम किये जाने की सही आज्ञा पारित की है। अन्त में राजकीय अभिभाषक ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी रक्षित वनखण्ड झील का बाडा के खसरा नम्बर 62/1 की वन भूमि है जो कि वह राज्य सरकार विज्ञप्ति संख्या 67 दिनांक 18.05.1967 के द्वारा रक्षित वनक्षेत्र घोषित हो चुका है। अपीलान्ट ने वन विभाग की विवादित आराजी पर मकानात बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट का यह कहना कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योकि तहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 08.08.2018 को स्वयं अपीलान्ट के बयान दर्ज है जिसमें अपीलान्ट द्वारा कब्जे शुदा जमीन के कोई कागजात पेश नहीं करना, वन विभाग के उक्त खसरा नम्बर पर अन्य 80 परिवारों के भी घर होना, 20'x20' में स्वयं के द्वारा नया निर्माण करने का कथन किया है। मुताविक जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 आराजी खसरा नम्बर 62/1 क्षेत्रफल 109.17 गैरमुमकिन पहाड मकबूजा महकमा जंगलात दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 62/1 वन विभाग की भूमि है। तहत न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत आदेश दिया है जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ सहायक वन सरंक्षक अधिकारी भरतपुर की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)